

प्राप्ति

लोकु सुचना अधिकारी कोष मुख्यमालय,
पांचमी क्षेत्र II भवरामठ कापुररान डॉक इंडिया क्रिस्टल
वडोदरा (शुजरान)

क्रमांक ३/१०/१९

वीक्षण

आवेदनः - मार्ग मनोहरलाल नयमल गांधी

मेर शेष वाजार चौक मु+पेस्ट कुलबद ला. सावरे
जि. नागपुर - ५४१११२

मो. न. ५४२२५०२८८८

विषयः - सुचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मेरा आवेदन
दि. ०८/०३/२०१९.

संदर्भः - आपका पा. पा. क्ष. - II / जन सुचना / २०३८

मध्यम

सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ^{पृष्ठ} ५७
दि. ०८/०३/२०१९ को आपके कार्यालय मे उसवेद्दे पंजीकृत डा.
द्वारा निजवापा बा/व्हे आवेदन पर मेरे मार्ग शरणार्थी की
कोई किस स्तर पर कुपये दस लोगाई यही | आप

आपके संदर्भिय परानुसार रजिस्ट्रेशन नं. १०१ की की
जमा करना उनिवार्य है। यह किस मे आपके बैंक डॉक इंडिया
कुलबद द्वारा उभारे शाफ वडोदरा मे देय निजवा रवा हू। कुपया मेरे
सुचना अधिकार आवेदन पा मे भागी जाइ जानकारी जल्द से
जल्द जल्द देने का कर्ता की

संलग्नः -

१) डिक्टीक्ट. ३१३३०८ न. १०१


२) डिक्टीक्ट. ३१३३०७ न. १०१-

३) संदर्भिय पा की प्राप्तिपा

आवेदन

गोपनीय नाम

(मनोहरलाल नयमल गांधी)



सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(सूचना अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप)

आ. नं./In No.

प्रहि.

श्री कृष्णल मुंद्रन

11/5/18

लोक सूचना अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री

परिविहीन श्रेष्ठ एवं लाभवरक उपरोक्त अंग ईंटिप्रिलि
वड/एवं शुभालय



1) आवेदक का नाम

श्री मनोजराज नवमल ३१०१

2) आवेदक का पुरा पता

मुन शेख बाजुरा चौक, मुंपे-कोल्हापु

ला. शावनेर, नो. ८०५४३, ५५१११२

मो. नं. ९५२२५०२८११

3) चाही गई जानकारी का विवरण

मेर व्हारा दि. १३/०५/२०१८ के आपके
छिंवाड़ में लायल्य से दिये गए
पर व्यवहार के संदर्भ में
(११५२५०२८११ - वर्स १८५ के लिए)

1) जानकारी का विषय

पर व्यवहार / अधिकार पर गयी तात्पुरता के
संदर्भ में

2) जानकारी संबंधित कालावधी

०१/०५/२०१८ से ०८/०६/२०१९

3) आवश्यक जानकारी का विवरण

१) मेर व्हारा दि. १३/०५/२०१८ के आपके छिंवाड़
लायल्य में दिये गए उपरोक्त पर आपके विभाग
व्हारा के गयी तात्पुरता के विवरों के संलग्न में
आपके विभाग व्हारा के दिये गए पर व्यवहार की
प्रमाणित प्रति.

२) मेर व्हारा दि. १३/०५/२०१८ के आपके छिंवाड़
लायल्य में दिये गए आवेदन पर आपके विभाग
व्हारा के दिये गए तात्पुरता के आपके विभाग के
माध्यम से पर व्यवहार की प्रमाणित प्रति.

4) जानकारी डाक द्वारा या

प्रक्रियत रूप से

5) डाक द्वारा होने पर साधी डाक,

पंजीकृत अथवा तत्काल डाक

4) क्या आवेदक गरिबी रेखा के नीचे है,

नहीं।

(यदि हाँ तो बी.पी.एल. सूचिका अनुक्रमांक)

संलग्न :- दि. १३/०५/२०१८ के प्राप्तियाँ।


स्थान : नोंद्यू

दिनांक : ०८/०६/२०१९

संलग्न दिनांक ०८/०६/२०१९

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रते.



मा. प्रबंधक महोदय,

पॉवरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

पश्चिमी क्षेत्र II, चंदनगांव, नागपूर रोड, छिंदवाडा

अर्जदार :- श्री. मनोहरलाल नथमल गांधी, मो. नं. 9422502811

मु.पो. केळवड, तह. सावनेर, जि. नागपूर

ग्रन्थ :- आपका दि. 02/03/2017 का पत्र प्राप्त दि. 07/04/2018

विषय :- मेरे औद्योगिक अकृषक भुमी मे आपके द्वारा निर्मित किये
जा रहे ठॉवर एवं पारेशन लाईनबाबत।

संठोदय,

मेरी मौजा. शायबासा, तालुका - सावनेर, जि. नागपूर मे खसरा क्र.
312, 313/1, 312,313/2, 312,313/3, 312,313/4, औद्योगिक
अकृषक भुमी रक्का (आराजी) 4.82 हेक्टर आर है। यह संपुर्ण भुमी जा.
पिल्हाधिकारी नागपूर इनके अकृषक आदेश सा.मा.क्र. 57/एनएपी
34/2016-17 के तहत औद्योगिक उपयोग के लिये अकृषक कि गयी
है। यह जमिन वंश परंपरागत रूप से मेरे पास है। इस औद्योगिक जमिन
के मध्य क्षेत्र मे आपके कंपनीद्वारा 765 के.क्टी. डबल सर्किट
गाडरवाडा-वरोरा पारेशन लाईन का निर्माण कार्य दि. 27/03/2018 से
शुरू है। इस औद्योगिक अकृषक जमीन के मध्यक्षेत्र मे निर्मानाधिन ठॉवर
रुक्म जा रहे पारेशन लाईन से मुझे आर्थिक बुकसान एवम जानसिक
तात्त्वानी हो रही है। इस संबंध मे मुआवजा एवम क्षतीपुर्ती तय करते
रुक्त मेरे निम्नलिखित मुद्दोपर गंभिरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

- 1) जमिन के मध्य क्षेत्र में निर्मित टॉवर एवं मध्य क्षेत्र से जानेवाली पारेषन लाईन के बजह से मेरे पुरे जमीन कि औदयोगिक उपयुक्तता (योग्यता) खत्म हो रही है। जमिन का औदयोगिक एवं वाणिजिक उपयोग लेने का मेरा सौवैधानिक अधिकार/हक्क अवरुद्ध/नष्ट हो रहा है।
- 2) संबंधीत जमीन की लंबाई, चौड़ाई एवं पारेषन लाईन की लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखकर मध्यभाग में निर्मित टॉवर एवं मध्य क्षेत्र से जा रही पारेषन लाईन की बजह से इस औदयोगिक भुमि का संपूर्ण क्षेत्र बाधित क्षेत्र माना जाए। एवं संपूर्ण क्षेत्र का मुआवजा एवं क्षतिपुर्ती दी जाए।
- 3) कृषी उपयोगी भुमि में किसान टॉवर के नीचे एवं पारेषन लाईन के नीचे फसल कि उपज ले सकता है। लेकिन औदयोगिक उपयोग की भुमि में एवं नियमानुसार आसपास ढाचागत औदयोगिक एवं वाणिज्यिक निर्माण कार्य नहीं कर सकता। इसलिए संपूर्ण जमीन क्षेत्र का मुआवजा एवं क्षतिपुर्ती रेडी रेकर रेट के 200% दिया जाए।
- 4) गैरकृषी उपयोगी औदयोगिक भुमि के मध्य क्षेत्र में आनेवाले टॉवर एवं मध्य क्षेत्र से जानेवाली पारेषन लाईन से निर्मित प्रतिबंधात्मक क्षेत्र का रकबा तथा मुआवजा एवं क्षतिपुर्ती निश्चित करणे के लिए, नगर रचना विभाग (नगर निवेश विभाग) के अधिकारी की अधिकारीक समिति में नियुक्ती आवश्यक है।
- 5) मैंने मेरे छोटे पुत्र को कारखाना शुरू करणे के दृष्टीकोन से संबंधीत उच्च शिक्षा दि है। एवं उसकी उच्च शिक्षा (B.Sc. Biotech. MBA) पुर्ण हो गई है। इस दुविधापूर्ण स्थिती मेरे पुत्र के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया है।

..3..

- 6) इस जमीन का औपचारिक एवं वानिजियक उपयोग ना कर पाने से मेरे भविष्य के संभावित नुकसान का भी मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति मुझे दि जाए।
- 7) रायबासा केलवद आर्गे को लगकर यह मेरी वंश परंपरागत जमीन है। नियोजित कारखाना शुरू करणे के लिए अब अन्यत्र उपयुक्त जमीन मेरे पास नहीं है।

ऐसे अपवादात्मक एवं दुष्टिधारुण स्थिती मे मेरे निवेदन पर

गम्भेता पूर्वक विचार आवश्यक है।

दि. 12/04/2018

अर्जदार

संलग्न :-


- 1) अकृषक आदेश (श्री. मनोहरलाल नथमल गांधी)
- 2) सातबारा उतारा
- 3) उद्योग आधार नौदणी प्रमाणपत्र
- 4) स्थानदर्शक बकाशा
- 5) शैक्षणिक प्रमाणपत्र
- 6) मुल्यांकन पत्र

प्रतिलिपि :-

1) मा. जिल्हाधिकारी नागपूर, विभाग नागपूर

2) मा. उपविभागीय अधिकारी, सावनेर

3) मा. उप महाप्रबंधक, पॉवरग्रिड कॉ. ऑफ इंडीया, भोपाल



13/04/18
आदक जावक लिपिक
उपविभागीय अधिकारी कार्बलय
सावनेर

16/04/18